2/मई8

महात्मा ज्योतिबा फुले मुख्य मंडी प्रागंण कृषि उपज मंडी समिति
(फल एवं सब्जी) टर्मिनल मार्केट मुहाना, जयपुर

क्रमांक:– 1327-28 दिनांक:– 7/7/17

श्री ज्ञानेश कुमार,
पुत्र श्री प्रभूदयाल,
Nation Interest 4/209 B, Chitrakoot]
Vaishali Nagar, Jaipur (Raj.)।

विषयः–दिनांक 26.02.2017 को प्रमुख समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका जयपुर, में प्रकाशित खबर शीर्षक **"अव्यवस्थाओं की मण्डी बनी मुहाना"** के संबंध में।
प्रसंगः– राजस्थान सम्पर्क ग्रीवेन्स संख्या 03171592191102 दिनांक 22.03.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद में दिनांक 26.02.17 को प्रमुख समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका जयपुर में प्रकाशित खबर शीर्षक " अव्यवस्थाओं की मण्डी बनी मुहाना, में तथ्यात्मक टिप्पणी निम्नप्रकार है।

1– मण्डी प्रांगण में चिकित्सा सुविधा उपलबध कराने हेतु स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु जगह चिन्हित कर भवन का निर्माण मार्च 2013 में करा लिया गया है। स्वास्थ्य केन्द्र चालू करने हेतु मण्डी समिति का प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 15.05.2013 पारित कर विभाग को चिकित्सा सेवा चालू करने हेतु निवेदन किया गया है। मण्डी समिति के पत्रांक 915–16 दिनांक 17.06.16 द्वारा श्रीमान निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मण्डी प्रांगण मुहाना में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है। (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है) मुख्य मण्डी प्रांगण में डिस्पेन्सरी खोले जाने का निर्णय राज्य सरकार स्तर से लिया जाना है।

2– मण्डी प्रांगण मुहाना में ए एवं बी ब्लॉकों में सी.सी. रोड के निर्माण के साथ ही पानी की लाईन डलवाकर बीसलपुर परियोजना से पानी की आपूर्ति हेतु मण्डी समिति द्वारा जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में 212.69 लाख रूपये जमा कर बीसलपुर परियोजना से पानी की आपूर्ति की जा रही है। सी–ब्लॉक में व्यापारियों द्वारा बेसमेन्ट निर्माण के समय पानी की पाईप लाईन टुट गई थी, जिसको नई डलवाकर पानी की आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार सम्पूर्ण मण्डी प्रागंण में बीसलपुर पानी की सप्लाई सुचारू है। वर्तमान में मण्डी में किसानों, क्रेता–विक्रेताओं को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 11 नग प्याऊ, 8 वाटर कूलर संचालित है, जिन पर टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जाता है।

3– मुख्य मण्डी प्रांगण टर्मिनल मुहाना जयपुर में भूमि अवाप्ति एवं आवंटन के समय से ही निम्न भूमि विवाद होने के कारण पशुओं की रोकथाम के संबंध में मुख्यतः निम्न व्यावहारिक कठिनाईयां है जिनके कारण पशुओं को रोकने का स्थायी समाधान नहीं हो पाता है :–

1. **पूर्व दिशा में**– स्थानीय निवासी जो की मण्डी की चाहर दिवारी के पास ही रहते है। उनके द्वारा मण्डी के अन्दर से जा रही नहर के पास से अपने पशु मण्डी में प्रवेश करा देते है। नहर पर चाहर दिवारी बनाया जाना संभव नहीं है।

2. **पश्चिम दिशा में**– मण्डी के पश्चिम दिशा में भूमि के विवाद श्री कर्नल हरिराम जानू अवाप्त भूमि का कुछ हिस्से में स्वयं निवास करने के कारण मण्डी में कब्जा नहीं दिये जाने के कारण चाहर दिवारी के स्थान पर वायर फेन्सिंग कराई गई है। उन्हें उनके द्वारा हटा दिया जाता है जिससे पशु प्रवेश कर जाते है।

3. <u>उत्तर दिशा में</u>— मण्डी के उत्तर दिशा में गेट नं. 03 (मानसरोवर साईड) पर कर्नल सूरा द्वारा भूमि पर विवाद कर रखा है जो कि जेडीए द्वारा आवंटित है। इस हिस्से में चाहर दिवारी नहीं बनने दिये जाने के कारण भूमि पर होकर पशु मण्डी में प्रवेश कर जाते है।

मण्डी प्रांगण से आवारा पशुओं को सुरक्षाकर्मियों द्वारा बाहर निकालवाया जाता है तथा मण्डी प्रांगण में आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु नगर–निगम जयपुर को बार–बार पत्र जारी करने के बाद अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। नगर निगम द्वारा कभी–कभार आवारा पशुओं को पकडने हेतु वाहन भिजवाया जाता है। आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु तारबन्दी वाले क्षेत्र एवं नाले के पास खाई खुदवाई गई है, तथा स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चहार दिवारी बार बार क्षतिग्रस्त कर दी जाती है। उसका पुनः निर्माण करवाया जाता है, तथा सुरक्षा एजेन्सी को आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु समय समय पर निर्देशित किया जाता है।

4— मण्डी प्रांगण मुहाना में फल एवं सब्जी का कारोबार प्रातः 03 बजे चालू होकर करीब 01 बजे मध्याह्न तक चलता है। कृषक एवं व्यापारियों द्वारा फल–सब्जी की छटनी करते वक्त खराब एवं सडी–गली सब्जी को एकत्रित कर निर्धारित स्थान पर न डालकर सडक पर डाल देते है जिससे मण्डी प्रांगण में गन्दगी नजर आती है। जिन ब्लॉकों में व्यापार कार्य अधिक होता है उनमें व्यापारी, किसान एवं खरीद–दारों की आवाजाही रहने के कारण 01 बजे तक सफाई कार्य व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता है। इन ब्लॉक में मध्याह्न 01 बजे बाद सफाई कार्य करवाया जाता है। फल एवं सब्जी थोक–विक्रेता संघ के अध्यक्ष श्री राहुल तंवर द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से व्यस्त ब्लॉकों की फोटो खींचकर समाचार प्रकाशित करवाया जाता है। मण्डी प्रांगण में आलू, फल एवं सब्जी ब्लॉकों के व्यापार संघों, अध्यक्षों द्वारा बिल पर सफाई कार्य सन्तोषजनक कर हस्ताक्षर किये जाते है, (प्रतिलिपि संलग्न है)। राहुल तंवर द्वारा स्वयं सफाई संवदेक के बिल पर भी अपने हस्ताक्षर कर कार्य सन्तोषजनक होने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। समाचार पत्र में प्रकाशित चित्र (फोटो)1.00 बजे से पहले खिचवाया गया है। यदि दोपहर 02 बजे बाद इन ब्लॉकों का निरीक्षण किया जाये तो सफाई व्यवस्था सही नजर आयेगी।

भवदीय

(अशोक कुमार गर्ग)
सचिव

क्रमांक– 1327–28   दिनांक– 7-7-17

प्रतिलिपिः— श्रीमान निदेशक महोदय, कृषि विपणन निदेशालय राजस्थान, जयपुर को ग्रीवेन्स संख्या 03171592191102 दिनांक 22.03.2017 के क्रम में प्रेषित है।

सचिव